


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

मोहन लाल बनाम एस डी ओ जयपुर प्रथम व अन्य

केस संख्या 116 /2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
29.07.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री युगान्तर शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी इस कथन से सहमत है।</p> <p>उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का मलीमांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/2019 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 70/2019 व उनवानी मोहन लाल बनाम प्रमोद व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री युगान्तर शर्मा से न्याय मिलने में शका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री युगान्तर शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर</p>	